न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर (भरतपुर)

प्रकरण संख्या **41/2017** *निर्णय दिनांक :* 16-1-18

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

पटवारी हल्का पाहुवा

बनाम

श्री गोकुल पुत्र दीपचन्द जाति जाट निवासी नगला मोती

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रकरण में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है पटवार हल्का पाहुवा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 543/6.22 है. वाके ग्राम पाहुवा किस्म चारागाह में से 0.85 है. पर सरसों बोकर **श्री गोकुल पुत्र दीपचन्द जाति जाट निवासी नगला मोती** द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। रिपोर्ट पटवारी दर्ज रिकार्ड की जाकर गैरसायल को नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी किया गया। जिसकी उसे तामील हो चुकी है। गैरसायल बाबजूद तामील अनुपस्थित। गैरसायल द्वारा असालतन या वकालतन कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर उसे कोई अनुतोष दिया जा सके। इस आराजी का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः गैरसायल को अतिक्रमी करार देते हुए मौके से बेदखल किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बर 543/6.22 है. वाके ग्राम पाहुवा किस्म चारागाह में से 0.85 है. पर से **श्री गोकुल पुत्र दीपचन्द जाति जाट निवासी नगला मोती** को बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान के कुल 7.65 रूपये का 50 गुना पेनल्टी 382.50 रूपये जिसके पूर्णाक 383 आरोपित की जाती है। मतालवा तहसील राजस्व लेखाकार को कायम कराया जावे। पटवारी हल्का / भू अभिलेख निरीक्षक को वास्ते बेदखली, वसूली एवं फसल नीलामी लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील-कुम्हेर (भरतपुर)

रा. ले. मं. 4 वर्ष 20..17-18... पर राशि 383-
पृष्ठ संख्या....22....
की कायमी की गई।
23/3/18
म. रा. ले., कुम्हेर